राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 25/2021 — दायर दिनांक 17.09.2021

पीठासीन अधिकारी—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. मदन पुत्र सुण्डा जाति खटीक उम्र 81 वर्ष निवासी सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राज0

——प्रार्थी

बनाम

1. भूरे खां पुत्र बाबु खां जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय सुरसुरा
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0का0अधि0 1955

निर्णय — दिनांक 16.12.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के एकल कब्जे काश्त, खातेदारी की कृषि आराजी खाता संख्या नया 740 के ख0न0 657 रकबा 1.8687 है0 कुल खसरा 1 कुल रकबा 1.8687 है0 जो राजस्व ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू.अ.निरीक्षक हरमाडा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजी ख0न0 657 के पूर्व दिशा में निजी खातेदार काश्तकार अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी है। अप्रार्थी संख्या 1 की निजी खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 2273/651 में से दक्षिण दिशा की सींव मेड़ के सहारे प्रार्थी अपनी खातेंदारी की भूमि में आने जानें हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुंच हेतु निकटतम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है, जो अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि ख0न0 2273/651 की दक्षिण सीमा सींव मेड़ के सहारे होते हुए उसके आगे लगता हुआ रिकोर्डेड रास्ता ख0न0 650 को जोड़ता है। प्रार्थी की कृषि भूमि ख0न0 657 के पूर्व दिशा में लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि ख0न0 2273/651 है उसके आगे रिकॉर्डेड रास्ता ख0न0 650 की कृषि भूमि तक पहुच के लिए रास्ते ख0न0 650से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 2273/651 की दक्षिणी दिशा की सीमा सींव मेड़, डोल के सहारे सहारे 30 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य रिकॉर्डेड रास्ता ख0न0 650 तक चाहते है। मुख्य रास्ता की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है तथा मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त खातेदारी की भूमि की सींव मेड़ से लगता हुआ उक्त रास्ता प्राप्त होनें पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में रिकॉर्डेड रास्ता से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की ख0न0 2273/651 की सींव मेड़ के सहारे होते हुए अपने खेत तक आ जा सकते है जो सुगम, सुलभ, निकटतम रास्ता है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 657 में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0न0 2273/651 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ संलग्न नक्शा में वर्णित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 657 में पहुंच के लिए अन्य कोई मार्ग/रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:30:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 30 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते को आम सहमति करार द्वारा कायम करने हेतु अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया था किन्तु सहमति से रास्ता कायम करवाने हेतु मना कर दिया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। गांवाई प्रथा अनुसार खेत की सींव–सींव ,मेड–मेड काश्तकार आते जाते है एवं यह प्रथा आदि अनादि काल से चलती आ रही है। प्रार्थी के पूर्वज भी इसी अनुक्रम में प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि की दक्षिणी सींव मेड़ के सहारे–सहारे प्रार्थी की ख0न0 657 तक आते जाते रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि के आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पडौसी काश्तकारों से रास्ते की मांग कायम करवानें का विद्यायिका द्वारा अधिकार प्रदत्त किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम सुरसुरा के ख0न0 657 रकबा 1.8687 है0 भूमि के खातेदार मदन पुत्र सुण्डा जाति खटीक द्वारा आवागमन हेतु ख0न0 2273/651 रकबा 1.0517 है0 में से रास्ता चाहा गया है। ख0न0 2273/651 रकबा 1.0517 है0 भूरे खां पुत्र बाबू जाति मुसलमान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की भूमि ख0न0 657 में आवागमन हेतु रिकार्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा ख0न0 2273/651 में से ख0न0 650 की उत्तरी सीमा से ख0न0 2273/651 की दक्षिणी सीमा से ख0न0 657 की पूर्वी सीमा के कोने के सहारे 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है।उक्त रास्ते की लम्बाई मुताबिक राजस्व नक्शे के अनुसार 13 गट्ठे बनती है। ग्राम सुरसुरा के ख0न0 657 जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर आवागमन हेतु सबसे कम दूरी का रास्ता ख0न0 650 की उत्तरी सीमा से ख0न0 2273/651 की दक्षिणी सीमा से 657 की पूर्वी सीमा के कोने के सहारे 30 फ़ीट चौड़ा रास्ता चाहा है। उक्त रास्ते की लम्बाई 13 गट्ठे बनती है जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि के आवागमन हेतु सबसे कम दूरी (लघुत्तम) का प्रस्तावित रास्ता रिकार्ड अनुसार बनता है। उक्त प्रस्तावित 30 फीट चौड़े व 13 गट्ठा लम्बे रास्ते का क्षेत्रफल 0.0240 है0 बनता है। ग्राम सुरसुरा की असिचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 157425/–रू. प्रति हैक्टेयर है। जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि की कीमत 3778/–रू. बनती है।

हमने पत्रावली अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं बहस अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ख0न0 657 में आवागमन हेतु ख0न0 2273/651 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का रकबा 0.0240 है0 होता है जिसकी डी0एल0सी0 दर 157425/–रू. प्रति हैक्टेयर अनुसार कुल कीमत 377[illegible] बनती है जिसकी दुगुनी राशि 7556/–रू. बनती है। प्रार्थी द्वारा [illegible] बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:30:58 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)